पत्रांकः 1029 /22(325)/को0नि0/प्रावि0

प्रेषक,

निदेशक,
कोषागार,उ0प्र0,
1018, जवाहर भवन,
लखनऊ ।

सेवा में,

समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उ0प्र0।

दिनांकः 29 जून, 2016

विषयः– कैश संवर्ग के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के उपरान्त उनके स्थान पर कर्मचारियों की व्यवस्था किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

शासन के शासनादेश संख्या–एस–3–2429/दस–2000–100(39)/93 दिनांक 22–9–2000 द्वारा कोषागार के कैश शाखा को मृत संवर्ग घोषित कर दिया गया है । उक्त के फलस्वरूप कैश शाखा के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के उपरान्त पद रिक्त होते जा रहे हैं, जबकि उपकोषागारों एवं सदर कोषागारों में स्टाम्पों की पूर्ववत् बिकी हो रही है तथा उनके कार्य बढ़ गये हैं । कोषागारों द्वारा समय–समय पर रोकड़िया/उपरोकड़िया/सहायक रोकड़िया के सेवानिवृत्ति के उपरान्त उनके स्थान पर कर्मचारियों की व्यवस्था के संबंध में कोषागारों द्वारा मार्गदर्शन मांगा जा रहा है ।

अतः इस संबंध में समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि यदि उपकोषागार/कोषागार में कोई कैश संवर्ग का कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है और उसके सेवानिवृत्ति के उपरान्त कैश शाखा का कार्य प्रभावित हो रहा है तो उसकी व्यवस्था हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारी के स्थान पर कोषागारों के लेखा संवर्ग के सहायक लेखाकार/लेखाकार की तैनाती करना सुनिश्चित करें । इसके लिये अलग से किसी प्रकार के आदेश/निर्देश की अलग से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है । कतिपय कोषागारों द्वारा यह भी जिज्ञासा व्यक्त की गयी है कि क्या लेखा संवर्ग के कर्मचारियों से कैश कार्य लेने हेतु उनसे सिक्योरिटी जमा कराई जायेगी ? इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि समस्त सहायक लेखाकार/लेखाकार उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य कर्मचारी हैं । इनसे किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।

भवदीय,

29.06.16

(लोरिक यादव)
निदेशक ।